



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172304

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 49515 वर्ष 2025

अनिकेत कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : कृष्ण कांत दुबे, संतोष कुमार दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन वाद संख्या 876 सन् 2024 (राज्य बनाम अनिकेत कुमार), जो मुकदमा अपराध संख्या 876 सन् 2024, धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना नंदग्राम, जिला गाजियाबाद से उद्भूत है और विद्वान 6वें सिविल जज/वरिष्ठ प्रभाग, गाजियाबाद के समक्ष लंबित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने तथा उक्त वाद में आरोप-पत्र दिनांक 07.10.2024 एवं संज्ञान आदेश दिनांक 23.12.2024 को भी निरस्त किए जाने हेतु, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के अनुसरण में दाखिल किया गया है।

3. आदेश दिनांक 11.12.2024 द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के सत्यापन हेतु मामले को संबंधित अवर विचारण न्यायालय के समक्ष भेजा था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2026 द्वारा सूचित किया है कि पक्षकारों के मध्य मामले में समझौता हो गया है, जिसकी प्रति अभिलेख पर है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा पक्षकारों के मध्य कुछ गलतफहमी और भ्रान्त धारणाओं के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। समय बीतने के साथ वे अपने मतभेदों का समाधान करने में सक्षम हुए हैं और उन्होंने लिखित रूप में सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है, जिसका विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी सत्यापन किया गया है। उन्हें यह एहसास हुआ है कि आवेदकों की ओर से कोई आपराधिक आशय नहीं था और आवेदकों द्वारा कोई आपराधिक अपराध नहीं किया गया है।

5. विद्वान ए.जी.ए. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की शुद्धता पर विवाद नहीं कर सके। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि उक्त वाद की कार्यवाही निरस्त कर दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त समझौते के दृष्टिगत, अवर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2003(4) एस सी सी 675 तथा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एस सी सी 303 के मामलों में दिए गए निर्णयों के आलोक में निरस्त किया जाए।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपर्युक्त)** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य समझौते/निस्तारण के माध्यम से विवाद समाप्त हो गया है, तो धारा 320 भा.दं.सं. में निहित किसी बात के बावजूद, पक्षकारों के मध्य दर्ज समझौते को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 498-ए भा.दं.सं. आदि के अंतर्गत कार्यवाही को निरस्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान सिंह (उपर्युक्त) के मामले में अनुच्छेद-61 में यह अभिनिर्धारित किया है कि;

“आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत को अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, संहिता की धारा 320 के अंतर्गत अपराधों के शमन के लिए आपराधिक न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति से भिन्न और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और उस पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है, किंतु इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अथवा (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में अपराधी और पीड़ित द्वारा अपने विवाद का निस्तारण कर लेने पर आपराधिक कार्यवाही अथवा शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसकी कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति से संबंधित जघन्य और गंभीर अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को, पीड़ित अथवा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीड़ित के परिवार और अपराधी के मध्य विवाद का निस्तारण हो जाने के बावजूद, उचित रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के मध्य किसी समझौते को ऐसी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार प्रदान करने वाला नहीं माना जा सकता। किंतु ऐसे आपराधिक मामले, जिनमें दीवानी तत्व अत्यधिक और प्रमुख रूप से विद्यमान हों, निरस्तीकरण के प्रयोजन से भिन्न आधार पर होते हैं, विशेषकर वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वे अपराध जो वैवाहिक संबंधों, दहेज आदि से संबंधित हों या ऐसे पारिवारिक विवाद हों, जहां गलत कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसकी राय में अपराधी और पीड़ित के मध्य हुए समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत कम और धूमिल हो गई हो तथा आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त पर अत्यधिक उत्पीड़न और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण निस्तारण एवं समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या पीड़ित और गलत कृत्य करने वाले के मध्य समझौते और निस्तारण के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अनुचित होगा अथवा न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित है; और यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की अपनी अधिकारिता के भीतर पूर्णतः सक्षम होगा।”

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, योगेन्द्र यादव बनाम झारखण्ड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653 और परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस सी सी 641** में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदकों तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों का निस्तारण कर लिया है और इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 उक्त वाद को आवेदकों के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को आगे चलने दिया जाता है तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है, जिसका अवर न्यायालय द्वारा भी सत्यापन किया गया है तथा उक्त रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर है। अतः यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2, जो यदि विचारण आगे बढ़ता है तो अभियोजन का मुख्य साक्षी होगा, ने विचारण के दौरान अभियोजन के पक्ष में प्रतिकूल साक्ष्य देने का अपना स्पष्ट और निर्विवाद आशय व्यक्त किया है। ऐसी परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि गुण-दोष और सत्यता से अलग, यदि विचारण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह विद्वान अवर न्यायालय के बहुमूल्य समय की काफी हद तक बर्बादी हो सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. न्यायालय इस कठोर वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकता कि वर्तमान वाद तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों में, यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी अपराध के तत्वों को अवश्य दर्शाते हैं, तथापि इस प्रकार का समझौता हो जाने के दृष्टिगत दोषसिद्धि की संभावनाएं न केवल अत्यंत क्षीण हैं, बल्कि यदि ऐसे विचारणों को राज्य के लगभग सभी आपराधिक न्यायालयों में लंबित अन्य सभी विचारणों के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो वर्तमान जैसे मामलों में विचारण जारी रखना केवल उन अन्य मामलों के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है, जहां वादी न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

11. सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे कुछ समझौता व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होता। दुर्भाग्यवश, आपराधिक मामलों की अत्यधिक लंबितता तथा झूठ बोलने और असत्य कथन करने की समाज में अन्यथा व्याप्त अत्यधिक प्रवृत्ति को देखते हुए, न्यायालय को वह मार्ग भी उचित नहीं प्रतीत होता—जहां प्रतिशोध लेने की इच्छा कभी-कभी न्याय की शुद्ध खोज पर हावी होती दिखाई देती है; जहां विधिक लड़ाई जीतना सही कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है; जहां अपने प्रतिद्वंद्वी को सबक सिखाना अक्सर आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है।

12. अतः समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों को देखते हुए, न्यायालय के लिए अधिक व्यावहारिक और कम तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना उचित प्रतीत होता है—अर्थात् वर्तमान जैसे कुछ आपराधिक अभियोजनों को इस उद्देश्य से समाप्त होने देना कि अन्य मामलों में, जहां वादी अपने अधिकारों के प्रति गंभीर प्रतीत होते हैं और अपने दृष्टिकोण में अधिक सुसंगत हैं, अधिक प्रभावी, कुशल और उचित विचारण सुनिश्चित किया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के संबंध में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों पर विचार करते हुए और इन सभी कारकों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के मध्य समझौते को स्वीकार किया जाता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एस सी सी 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपर्युक्त), योगेन्द्र यादव बनाम झारखण्ड राज्य (उपर्युक्त) तथा परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (उपर्युक्त) के मामलों में प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

14. वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जा सकता है, तथापि यह इस शर्त के अधीन होगा कि पक्षकारों द्वारा आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा किए जाने वाले व्यय का भुगतान किया जाए। ऐसा व्यय इस उद्देश्य से अधिरोपित किया जाना आवश्यक है कि पक्षकारों को (इस मामले में) विशेष रूप से और समाज को सामान्य रूप से यह ज्ञात हो कि न्यायालय अपने सदस्यों के अनैतिक और त्रुटिपूर्ण आचरण का मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। जो समाज अपने सदस्यों को अपने न्यायालयों का दुरुपयोग करने की अनुमति देगा, अंततः उसे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। वास्तविक और झूठे दोनों प्रकार के वादी सदैव एक ही कतार में खड़े रहेंगे। वास्तविक और झूठे वादी के मध्य पहले से पहचान कर अंतर करने के लिए न्यायालयों के पास कोई तंत्र नहीं है। यह केवल किसी मामले में सुनवाई समाप्त होने के बाद ही ज्ञात होता है। सुनवाई में समय लगता है। वास्तव में, यदि न्यायालय किसी झूठे वादी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी करें, तब भी प्रक्रिया और निष्पक्षता के नियमों से बंधे होने के कारण, ऐसे मामलों में दो वास्तविक वादियों के मामले की तुलना में अधिक समय देना आवश्यक होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. ऐसी परिस्थितियों में, यद्यपि अभियोजन को आगे जारी रखने देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तथापि इस स्तर पर आवेदकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पूर्ण असत्यता के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वर्तमान धारा 482 दं.प्र.सं. आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है, तथापि यह इस शर्त के अधीन होगा कि प्रत्येक पक्ष द्वारा ₹2,000/- की दर से कुल ₹4,000/- का व्यय आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा किया जाए।

16. विधिक सेवा समिति उन वादकारियों के लाभ के लिए अस्तित्व में है और कार्य करती है, जिनके लिए न्यायालय की प्रक्रियाओं का व्यय वहन करना कठिन होता है। यह स्वयं समाज को एक महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवा प्रदान करती है। अतः विधिक सेवा समिति के समक्ष व्यय की राशि जमा करने का निर्देश देना उचित प्रतीत होता है, ताकि समाज और उसके सदस्यों को यह स्मरण और चेतावनी मिल सके कि वे अपने कार्यों और कृत्यों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर आत्मचिंतन और विचार करें।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

13 अगस्त, 2026

एस. अली